पत्र संख्या- आई0टी0/जी0एस0टी0 डाटा माइग्रेशन /(2017-18)/ 695 / वाणिज्य कर

प्रेषक,

कमिश्नर वाणिज्य कर

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1,

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

दिनॉक ::लखनऊ :: 26, जुलाई, 2017

महोदय,

कृपया अपने अधीनस्थ सभी कर निर्धारण अधिकारियों को अपने स्तर से यह निर्देशित करने का कष्ट करें कि जिन मामलों में यह सूचना प्राप्त हो रही है कि किसी व्यापारी का प्रोविजनल आई0डी0 Already Mapped है, उन मामलों में कर निर्धारण अधिकारी के द्वारा उस व्यापारी से इस आशय का प्रार्थना पत्र लिया जायेगा कि GSTN द्वारा जारी किये गये प्रोविजनल आई0डी0 तथा पासवर्ड के माध्यम से GST Portal पर किसी अन्य के माइग्रेट/activate करने से वह login करने में असमर्थ है। व्यापारी द्वारा सूचित कारणों की भलीभॉंति जांच करने के पश्चात कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपने स्तर से निर्णय लेते हुए तथा स्पष्ट कारणों एवम् अपनी संस्तुति सहित उस व्यापारी का डाटा निम्न प्रारुप में मुख्यालय को प्रेषित किया जायेगा:-

Sl No.	Registration Number TIN	Dealer Name & Address	Provisional ID	Dealer's Email	Dealer's Mobile Number	Officer's Recommendation for Already Mapped (yes/No)

2- उक्त सूचना पत्र के माध्यम से Hardcopy में तथा उसकी Second copy Email के माध्यम से तथा सूचना उक्त प्रारुप में Excel Sheet में ctithqlu-up@nic.in पर अलग से Email किया जायेगा तथा साथ में व्यापारी के Login करने पर Already Mapped की आ रही सूचना का Screen Shot भी प्रेषित किया जायेगा। GSTN के द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार जिन व्यापारियों के सम्बन्ध में Already Mapped अंकित कर Screen पर Message आ रहा है उनकी सूचना पुन: GSTN के Portal पर प्रेषित की जानी है। अत: ऐसे Cases में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा भलीभॉंति जांच करने के बाद ही इस प्रकार के मामले मुख्यालय दिनॉक 02-08-2017 तक प्रेषित किये जाये जिसमें वह आश्वस्त है कि Genuine व्यापारी के द्वारा किन कारणों से व्यापारी के पास GST Portal पर सूचित/अंकित User Name तथा Password एवं Mobile Number तथा Email ID उपलब्ध नहीं है।

भवदीय,

26/7/17

(अनूप कुमार माहेश्वरी)

ज्वाइंट कमिश्नर(आई0टी0) वाणिज्य कर,

मुख्यालय लखनऊ।